रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1971/कार्तिक 8, 1893

No. 193] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1971/KARTIKA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October 1971

G.S.R. 1648.—The following draft of certain rules further to amend the Indian Emigration Rules, 1923, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 24 of the Indian Emigration Act, 1922 (7 of 1922), is published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 30th November, 1971.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Indian Emigration (Amendment) Rules, 1971.

2. In the Indian Emigration Rules, 1923, for rule 69, the following rule shall be substituted, namely:—

"69. Rules 62 to 86-A shall apply to the areas falling within the jurisdictions of the Protectors at Bombay, Madras and Calcutta."

[No. F. V.III/401/13/69.]

P. N. MENON, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1971

जी० एस० आर० 1648:—भारतीय उत्प्रवास नीयम, 1923 में और संशोधन करने के लिए, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जो संशोधन करना चाहती है, उन कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर 30 नवम्बर को अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों को भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 1971 कहा जाए।

2. भारतीय उत्प्रवास नियम, 1923 में, नियम 69 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम लिख दिया जाएगा, यथा.—

> "69 नियम 62 से 68—क, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में संरक्षकों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होंगे।'

[संख्या फा० बी—III/401/13/69]

पी० एन० मेनन,
सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971